न्यायालय जिला कलक्टर बून्दी (राज.)

पीठासीन अधिकारी

अक्षय गोदारा
आई.ए.एस.

मिसल संख्या	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
मैनुअल नं. 84/प्रा.पत्र/2024 (GCMS No. 2024/136)	18.09.2024	09.06.2025

राजस्थान सरकार जरिये
तहसीलदार, तालेडा (जिला बून्दी)

– प्रार्थी

बनाम

गंगोल्या पुत्र गोमदा जाति रेगर, निवासी ग्राम चांदा का तालाब, तहसील तालेडा, जिला बून्दी (मृतक जरिये कायम मुकाम) – नन्हया पुत्र स्वर्गीय गंगोल्या जाति रेगर

– अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) राजस्थान भू राजस्व अधिनियम,1956

उपस्थित–
प्रार्थी की ओर से पेरोकार सरकार।
अप्रार्थी के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही।

निर्णय

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र अप्रार्थी गंगोल्या को किये गये भूमि आवंटन ख.सं. 219 रकबा 1.4083 हैक्टेयर वाकेग्राम चांदा का तालाब आवंटन आदेश दिनांक 06.06.1981 को निरस्त किये जाने हेतु राजस्थान कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4) के अन्तर्गत प्रस्तुत किया है।

प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर दायरा पंजिका क्रमांक 84/2024 पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर GCMS No.2024/136 ऑनलाईन इन्द्राज किया गया। तहसीलदार तालेडा से प्राप्त रिपोर्ट कमांक 1222 दिनांक 22.04.25 के अनुसार आवंटी 30–35 वर्ष पूर्व ग्राम चांदा का तालाब छोडकर अन्यत्र चला गया था, वर्तमान में गंगोल्या का कोई वारिस ग्राम चांदा का तालाब में निवास नहीं करता है। आवंटी या उसके वारिसान के वर्तमान निवास की सूचना ज्ञात नहीं होने से तामील के अभाव में प्रकरण में एकपक्षीय सुनवाई की गई।

तत्पश्चात बहस पेरोकार सरकार सुनी गयी।

जिला कलेक्टर, बून्दी

पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुये तर्क प्रस्तुत किये कि मुताबिक रिपोर्ट हल्का पटवारी आवंटी या वारिसान का आवंटित भूमि पर कब्जा काश्त नहीं है। आवंटी द्वारा आवंटन शर्तो की पालना नहीं किये जाने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर आवंटी के पक्ष में किया गया उक्त आवंटन निरस्त किया जाकर भूमि सिवायचक दर्ज रेकार्ड किये जाने का अनुरोध किया गया।

न्यायालय ने पत्रावली का अवलोकन किया एवं बहस पर मनन किया गया। जिससे प्रकट है कि गंगोल्या आ. गोमदा जाति रेगर निवासी ग्राम चांदा का तालाब को दिनांक 06.06.1981 को भूमि खसरा सं. 219 रकबा 8 बीघा 14 बिस्वा वाकेग्राम चांदा का तालाब का आवंटन किया गया था। आवंटी द्वारा आवंटन शर्तो की पालना नहीं किये जाने से उक्त आवंटन निरस्त किये जाने हेतु तहसीलदार द्वारा प्रकरण अन्तर्गत भूमि आवंटन नियम 14(4) पेश किया है। पत्रावली पर उपलब्ध ग्राम चांदा का तालाब की नकल जमाबंदी संवत 2076 के अनुसार भूमि खसरा सं. 219 रकबा 1.4083 हैक्टेयर पर अप्रार्थी का गंगोल्या पुत्र गोमदा रेगर गैर खातेदार दर्ज रेकार्ड है। पत्रावली पर उपलब्ध मौका रिपोर्ट हल्का पटवारी एवं आईएलआर दिनांक 29.07.2024 अनुसार उक्त आंवटित भूमि पर मौके पर गैर खातेदार का कब्जा काश्त नहीं है।

तहसीलदार तालेडा की रिपोर्ट में आवंटी गंगोल्या द्वारा 30–35 वर्ष पूर्व ग्राम चांदा का तालाब छोडकर अन्यत्र चला जाना एवं भूमि पर उसका कब्जा काश्त नहीं होना अंकित है। इससे प्रतीत होता है कि गैर खातेदार उक्त आवंटन को बहाल रखे जाने का इच्छुक नहीं है। कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 के नियम 14(3) के अधीन यह शर्त है कि आवंटी को आवंटन के पश्चात आवंटित भूमि पर प्रथम वर्ष में 50 प्रतिशत भाग पर तथा शेष भाग पर द्वितीय वर्ष काश्त करना आवश्यक है। प्रकरण में गैर खातेदार का आवंटित भूमि पर कब्जा काश्त नहीं होने से आवंटन की शर्तो का उल्लंधन होना प्रमाणित है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर आवंटी तथा उसके वारिसान का आवंटित भूमि पर कब्जा काश्त नहीं होने एवं आवंटन शर्तो की पालना नहीं किये जाने से उक्त भूमि के आवंटन को अस्तित्व में रखे जाने का कोई औचित्य नहीं है। फलस्वरूप प्रार्थनापत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी गंगोल्या आ. गोमदा जाति रेगर निवासी ग्राम चांदा का तालाब को किया गया भूमि आवंटन खसरा सं. 219 रकबा 8 बीघा 14 बिस्वा (1.4083 हैक्टेयर) वाकेग्राम चांदा का तालाब दिनांक 06.06.1981 निरस्त किया जाता है तथा तहसीलदार तालेडा को आदेश दिये जाते है कि उक्त भूमि को कब्जा राज लेकर राजस्व रेकार्ड में **सिवायचक** दर्ज करे। पत्रावली फैसले में शुमार होकर दाखिल दफ्तर करवाई जावे।

आदेश आज दिनांक 09.06.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अक्षय गोदारा)
जिला कलक्टर बून्दी